सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 05, मंगलवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 26, 2023 *Pausa 05 Tuesday , Saka 1945- December 26 , 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2023

संख्या प. 1(1)संसद/2023,- राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

" दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के आदेश, जिसके द्वारा श्री कालीचरण सराफ को और दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के आदेश, जिसके द्वारा श्री दयाराम परमार, श्री प्रताप सिंह सिंघवी और श्री किरोड़ी लाल को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष सौलहवीं राजस्थान विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए, मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान , भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(i) राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष ,

(ii) राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष, और

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) के अनुसार राजस्थान विधान सभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों -

को, इसके द्वारा उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूँ जिनके समक्ष सौलहवीं राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

कलराज मिश्र,

राज्यपाल राजस्थान।''

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
Notification
Jaipur, December 26, 2023

No. F.1(1)Sansad/2023.- The following order made by the Governor of Rajasthan on the 22 December, 2023, is published for general information :-

:: ORDER ::

"In supersession of the Order dated 18th December, 2023, by which Shri Kalicharan Saraf and Order dated 18th December, 2023 by which Shri Dayaram Parmar, Shri Pratap Singh Singhvi and Shri Kirodi Lal were appointed as the persons before whom the newly elected members of the Sixteenth Rajasthan Legislative Assembly were to make and subscribe oath or affirmation and sign it, I, Kalraj Mishra, Governor of Rajasthan, in exercise of the powers conferred upon me by Article 188 of the Constitution of India, do hereby appoint:-

(i) the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly,
(ii) the Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, and
(iii) the persons competent to preside over the sittings of the House of the Rajasthan Legislative Assembly in accordance with clause (2) of Article 180 of the Constitution of India,

to be the persons before whom any member of Sixteenth Rajasthan Legislative Assembly may make and subscribe the oath or affirmation and sign it.

Kalraj Mishra
Governor of Rajasthan."

Gyan Prakash Gupta,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।